रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 18] नई दिल्ली, अप्रैल 25—मई 1, 2010, शनिवार/वैशाख 5–वैशाख 11, 1932
No. 18] NEW DELHI, APRIL 25—MAY 1, 2010, SATURDAY/VAISAKHA 5—VAISAKHA 11, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2010

सा.का.नि. 75.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3(i), तारीख 10 मार्च, 1979 में सं. सा.का.नि. 383, तारीख 22 फरवरी, 1979 द्वारा प्रकाशित केन्द्रीय जल और विद्युत अवस्थान पुणे सुरक्षा (समूह ग और समूह घ) पद भर्ती नियम, 1979 को, अधिक्रांत करते हुए, जहां तक इनका संबंध सुरक्षा अधिकारी और सहायक सुरक्षा अधिकारी पद से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान, अवस्थान पुणे में सुरक्षा अधिकारी के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र पुणे (सुरक्षा अधिकारी समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सुरक्षा अधिकारी	2* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन-2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।

(7)
टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव : **सीधी भर्ती :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य; भूतपूर्व सैनिकों, भूतपूर्व पुलिस और भूतपूर्व केंद्रीय अर्ध-सैनिक कार्मिक-किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य; अनुभव (भूतपूर्व सैनिकों के लिए): कनिष्ठ कमीशन प्राप्त आफिसर से नीचे न हो या समतुल्य या अनायुक्त आफिसर के रूप में 5 वर्ष का अनुभव हो या समतुल्य ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/ग्रेड द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
परिवीक्षा/पुष्टि की समाप्ति के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. संयुक्त निदेशक, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान अवस्थान, पुणे —अध्यक्ष 2. मुख्य अनुसंधान अधिकारी, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान अवस्थान, पुणे —सदस्य 3. केंद्रीय सरकार के विभाग से अन्य समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 2/3/2003/ई. II]

के. जी. थंग, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 20th April, 2010

G.S.R. 75.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of Central Water and Power Research Station, Pune, Security (Group C and Group D) Posts Recruitment Rules, 1979, published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i) dated the 10th March, 1979 *vide* G.S.R. No. 383, dated the 22nd February, 1979, insofar as they relate to the post of Security Officer and Assistant Security Officer except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following Rules regulating the methods of recruitment to the post of Security Officer in the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune (Security Officer Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay/pay scale.— The number of the said post, its classification, Pay Band and Grade Pay/Pay Scale attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule of these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay/pay scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service is admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Security Officer	02*(2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1 Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 2400	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in the case of general candidates and up to forty-five years in the case of candidates

	(7)
	belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). **Note 2 :** In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the name.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Minimum qualifications and experience :— Direct Recruits :—Graduate from a recognized University or equivalent. For Ex-servicemen, Ex-Police and Ex-Central Para-Military Personnel :—Graduate from a recognized University or equivalent. Experience (for Ex-servicemen) : Not below Junior Commissioned Officer or equivalent or having 5 years experience as Non-Commissioned Officer or equivalent.	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
By direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for termination of probation/confirmation : 1. Joint Director, Central Water and Power Research Station, Pune —Chairman 2. Chief Research Officer, Central Water and Power Research Station, Pune —Member 3. A group 'A' officer from other Central Government Department —Member	Not applicable.

[F. No. 2/3/2003-E. II]

K. G. THANG, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2010

सा.का.नि. 76.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला पुणे में सहायक तकनीकी सेवाएं (प्रयोगशाला कर्मचारिवृंद समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2001 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे में प्रयोगशाला सहायक के पदों पर की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र पुणे, सहायक तकनीकी सेवाएं, प्रयोगशाला सहायक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि .—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :